<u>सूचना के अधिकार नियम, 2005</u>

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन :

मिशन के उद्देश्य :

1. समान कार्य करने वाली सभी संस्थाओं, विभागों इत्यादि को एक मंच पर लाकर कार्यक्रम से जोड़ना
2. कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विभागों, संस्थाओं इत्यादि कि दृष्टिकोणों का कार्यक्रम के हित में उपयोग
3. विभिन्न विभागों, संस्थाओं इत्यादि के पास उपलब्ध वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों को एकजाई कर कार्यक्रम को विस्तार देना
4. अतिरिक्त संसाधनों (विदेशी सहायता सहित) को जुटाना
5. कार्यक्रम संचालन के पक्ष में विकसित वातावरण की वर्तमान गति को बनाये रखना
6. कार्यक्रम के स्थायित्व के लिए तकनीकी आधार को सुदृढ करना
7. विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय
8. भू एवं जल संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में समन्वित कार्ययोजना तथा नीतिगत निर्णयों हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

मिशन के कार्य :

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन के कार्य निम्नानुसार हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समस्त गतिविधियां हाथ में लेना, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करना तथा धनराशि उपलब्ध कराना, उनका अनुश्रवण और क्रियान्वयन की समीक्षा करना और मिशन द्वारा कारगार ढंग से कार्य करने हेतु नीति निर्धारण और दिगदर्शन करना।
2. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रति समर्पित स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सक्षम व्यक्तियों एवं समाज सेवियों का सहयोग हासिल करना, उनकी सक्रिया भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें कार्यक्रम से समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार जोड़ना।
3. प्रशिक्षण, प्रबोधन और उपयुक्त निकायों, औपचारिक या अन्य के माध्यम से समाज की भागीदारी हासिल करते हुए जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से ग्रामीण समाज द्वारा संचालित कराना।
4. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संबंधितों की रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी हासिल करना और इस हेतु समय–समय पर आवश्यक प्रयास एवं प्रयोग करना।
5. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित शोध, अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि हाथ में लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना।
6. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्षेत्र में स्थापित उत्कृष्ट संस्थाओं और नवीन संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहयोग (ज्मबीदपबंस तमेवनतबम `नचचवतजद्ध सुनिश्चित करना एवं एक व्यापक डाटा बैंक तथा मल्टी मिडिया केन्द्र स्थापित करना।
7. मिशन से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, गोष्ठी एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।
8. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित साहित्य, प्रचार सामग्री इत्यादि विकसित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने क लिए सामग्री का संबंधितों में वितरण करना ताकि उच्चतम स्तर का जन सहयोग हासिल हो सके।
9. राज्य में स्थित अन्य विभागों के भू एवं जल प्रबंधन तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन संस्थानों से सहयोग करना और आवश्यकतानुसार उनका संविलियन कर कार्यक्रम को सशक्त बनाना।
10. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित भारत शासन की विभिन्न योजनाओं को मिशन की गतिविधियों का अभिन्न अंग बना उन्हें प्रदेश में निर्धारित उद्देश्यानुसार संचालित कराना।
11. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में राज्य शासन को समय–समय पर जानकारी देना।

मिशन की शक्तियां :

1. केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभागों एवं संस्थाओं की आवश्यकतानुसार भागीदारी से मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त अधिकार संपन्न प्रशासनिक मशीनरी/ढांचा निर्मित करना।
2. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी दृष्टि से सक्षम ढांचा स्थापित करा उन्हें उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।
3. मिशन के अन्तर्गत अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं अन्य पदों के निर्माण का अनुमोदन करेगी।
4. राज्य और केन्द्र सरकारों के परामर्श से मिशन के कार्य संचालन हेतु बने नियम को समय–समय पर आवश्यतानुसार संशोधित, परिवर्तित और निरस्त करना।
5. मिशन के उद्देश्यों क अनुरूप धन, प्रतिभूति और किसी भी प्रकार की संपत्ति का अनुदान स्वीकार करना और किसी भी धर्मादा, न्यास, निधि या दान का प्रबंध स्वीकार करना और अपने ऊपर लेना।
6. कार्यकारिणी या मिशन के अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी (जैसा कि नियम 19 एवं 20 में परिभाषित है) को ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंपना जैसा मिशन उपयुक्त समझे।
7. कार्यकारिणी द्वारा तेयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदित करना।
8. ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियां हाथ में लेना जो मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या अनुषांगिक हों।

मिशन संचालक के कार्य एवं शक्तियां :

1. राज्य शासन जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के लिए एक संचालक नियुक्त करेगा और उसकी परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तों का निर्धरण करेगा।
2. संचालक, मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे और मिशन मामलों एवं वित्त के उचित प्रशासन प्रबंधन तथा कार्यकारिणी के अध्यक्ष के निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को मिशन भावना से कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. अपने कृत्यों के कारगर निर्वाहन के लिए उन्हें निम्न लिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :

    1. कार्यक्रम के प्रत्येक घटक और कार्य क्षेत्र के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी कर्णधार दल ;ज्मबीदपबंस ेजममतपदह ळतवनचेद्ध का गठन करना।
    2. अध्यक्ष के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता और स्त्रोत व्यक्ति संविदा पर नियुक्त करना।
    3. मिशन के सभी अधिकारी एवं स्टाफ के कर्तव्य निर्धारित करना।
    4. आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण करना।
    5. मिशन तथा उसकी जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय इकाईयों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका पर्यवेक्षण करना/कराना।
    6. मिशन और उसकी कार्यकारिणी की बैठकों का प्रबंध करना तथा नियमानुसार बैठकों की कार्यवाही की वितरण अभिलिखित और संधारित करना।
    7. अन्य ऐसे कृत्य संपादित करना जो मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकारिणी द्वारा सौंपे जावें।

<u>कार्यक्रम कियान्वयन हेतु अमला</u>

कार्यक्रम का कियान्वयन निम्नानुसार भागों में बॅाटा गया हैः–

1. राज्य स्तर
2. जिला स्तर
3. मिलीवाटर शेड स्तर (विकास खण्ड)
4. ग्राम स्तर

(1) <u>राज्य स्तर</u>

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर संचालक के अधीन अमला स्वीकृत है । स्वीकृत अमले में जो अधिकारी कार्यरत हैं वे सभी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं । प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर आपरेटर एवं भृत्य संविदा पर कार्य कर रहे हैं । स्वीकृत पद की स्थिति संलग्न है ।

(2) <u>जिला स्तर</u>

जिले स्तर पर मिशन के कार्यों हेतु कलेक्टर को मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है । जिले स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु परियोजना अधिकारी एवं तकनीकी सहायक के पद इस कार्यक्रम के लिये स्वीकृत हैं । जिनका वेतन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हेतु स्वीकृत प्रशासनिक मद से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वयं स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध अमले को दृष्टिगत रखकर करते हैं ।

(3) <u>विकास खण्ड स्तर पर मिलीवाटर शेड</u>

जलग्रहण के कार्यों हेतु मिलीवाटर शेड पर जो कि अधिकांशतः विकास खंड स्तर पर ही होता है। परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन किया जाता है । इसमें परियोजना अधिकारी एवं अन्य सदस्य विभिन्न जिले कार्यरत कार्यकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं । इन्हें इनके मूल विभाग द्वारा वेतन दिया जाता है ये अपने विभागीय कार्य के साथ–साथ जलग्रहण का कार्य भी संपादित करते हैं। इनके सहयोग के लिये 1500 हे. पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जाती है जिसका मानदेय स्वीकृत परियोजना की लागत में से दिया जाता है ।

(4) <u>ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति</u>

ग्राम स्तर पर, चयनित/स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आने वाले गांवों की संबंधित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा के अनुरूप करेगी। पानी रोको समिति का वर्तमान आकार/स्वरूप विस्तारित किया जायेगा एवं इसमें उपयोगकर्ता दल, स्व–सहायता समूह, महिला बचत एवं साख समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है । जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों नामतः पानी के संरक्षण व संवर्धन , मृदा संरक्षण तथा वानस्पतिक विकास के लिए गतिविधिवार उपयोगकर्ता दलों, आयमूलक गतिविधियों के लिये स्वावलंबन दलों तथा महिलाओं में बचत एवं साख को प्रोत्साहित करने के लिये महिला बचत व साख समूहों का गठन किया गया है। मिशन की वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा पर उन समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी, जो 31.03.2003 के पूर्व स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति (व्ही.डब्ल्यू.सी) को सौंपे गये है।

समिति में वाटरशेड कर्मी (सचिव) को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान परियोजना लागत में से किये जाने का प्रावधान है।

संस्थागत व्यवस्था :

1. <u>राज्य स्तर पर :</u>

1.1 <u>साधारण सभा</u>

1.1.1 सभापति – मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश
1.1.2 उपसभापति – मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.1.3 सदस्य

(क). विशेष आमंत्रित सदस्य

- मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण
- मंत्री, कृषि

- मंत्री, वन
- मंत्री, जल संसाधन

(ख). **पदेन मनोनीत सदस्य (जन प्रतिनिधि)**

1. चार विधायक – जिनमें दो महिला विधायक होंगी
2. दो जिल पंचायत अध्यक्ष – जिनमें एक महिलाजिला पंचायत अध्यक्ष होंगी
3. दो जनपद अध्यक्ष– जिनमें एक महिला जनपद अध्यक्ष होंगी
4. दो सरपंच– जिनमें एक महिला सरपंच होंगी

(ग) **पदेन सदस्य (शासकीय)**

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2. मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित विभागों के वरिष्ठतम् प्रमुख सचिव/सचिव
    1. प्रमुख सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त
    2. प्रमुख सचिव, वित्त
    3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछडा वर्ग कल्याण
    4. कृषि उत्पादन आयुक्त
    5. प्रमुख सचिव, वन
    6. प्रमुख सचिव, ग्रामोधोग
    7. प्रमुख सचिव, योजना
    8. सचिव , जल संसाधन
    9. सचिव, कृषि
    10. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
    11. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
    12. सचिव, पंचायत
    13. सचिव, पर्यावरण
    14. सचिव, महिला एवं बाल विकास
    15. सचिव, जनसंपर्क
3. मिश्न को–आर्डीनेटर, राजीव गॉधी मिशन
4. संचालक, राजीव गॉधी मिशन (समस्त)
5. समस्त पूर्व संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन(नाम सं.)
6. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन म.प्र.
7. मुख्य महाप्रबंधन, नाबार्ड, भोपाल
8. संचालक, केन्द्रीय भूजल परिषद
9. संचालक, वाल्मी म.प्र.
10. संचालक, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान म.प्र.
11. सलाहकार, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन म.प्र.
12. ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के योजनावार एक–एक प्रतिनिधि

(घ) **मनोनीत सदस्य (अशासकीय)**

10 अशासकीय सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा

(च) **सदस्य सचिव**

1. मिशन संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

1.2 <u>कार्यकारिणी :</u>

मिशन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों की अधीन रहते हुए मिशन के कार्यों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा जिसका गठन निम्नानुसार किया गया हैं :

1.2.1 अध्यक्ष : मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
1.2.2 उपाध्यक्ष : विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1.2.3 सदस्य :

(अ) शासकीय सदस्य

राज्य शासन के निम्न लिखित विभागों के वरिष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त
2. प्रमुख सचिव, वन
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण
4. प्रमुख सचिव, वित्त
5. सचिव, ग्रामीण विकास
6. सचिव, कृषि
7. सचिव, पंचायत
8. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
9. सचिव, जल संसाधन
10. मिशन समन्वयक, राजीव गांधी मिशन एवं सचिव मुख्यमंत्री
11. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंध म.प्र.
12. समस्त पूर्व वाटरशेड मिशन संचालक (नाम सं.)
13. सलाहकार, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

(ब) अशासकीय सदस्य : 7 सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा । मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक महिला होगी

(स) आमंत्रित शासकीय सदस्य

1. भारत सरकार के जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी योजनावार एक–एक प्रतिनिधि
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के एक प्रतिनिधि
3. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली तथा इसके अधीन गठित परिषदों एवं मण्डलों के एक–एक प्रतिनिधि
4. सदस्य–सचिवः मिशन संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन – की आयोजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग हेतु **जिला कलेक्टर "मिशन लीडर"** होंगे। इस अनुक्रम में जिला कलेक्टरों द्वारा उनके मार्गदर्शन में मिशन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था अपनाई गई है :

2. जिला स्तर पर – जिला पंचायत :

उद्देश्यः राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के कार्यो को मूर्त रूप देने के लिए नीतिगत विषयों पर निर्णय, विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा समन्वय, आयोजना व क्रियान्वयन तथा प्रगति अंकेक्षण, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग हेतु यह समिति पुनरीक्षित कर गठित की गई है।

जिला स्तर पर वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन जिला पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। वाटरशेड योजना के प्रबंधन से संबंधित मामलों में जिला स्तर पर जिला पंचायत ही अंतिम निर्णायक होगी एवं उसके द्वारा लिये गया निर्णय सभी पर बंधन कारी होगे। वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये क्षेत्र चयन, कार्य योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन, राशि जारी करना इत्यादि ऐसे समस्त कार्य एवं दायित्व जो वर्तमान में जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, वे सभी जिला पंचायत सम्पादित किये जायेंगे।

अध्यक्ष – जिला पंचायत अध्यक्ष

सदस्य – समस्त जिला पंचायत सदस्य

अशासकीय संस्थाओं के सदस्य

परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी

कलेक्टर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

2.1 जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र तकनीकी समिति :

उद्देश्यः राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत तकनीकी पहलुओं पर निर्णय व सलाह हेतु यह समिति गठित की गई है।

सदस्य : कलेक्टर एवं मिशन लीडर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य सचिव है। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

- संबंधित विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी
- जिले के अंतर्गत विभिन्न अकादमिक/शैक्षणिक/प्रशिक्षण/शोध संस्थानों नामतः कृषि महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, भूजल संस्थान आदि के प्रतिनिधि
- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ''जिला भूजल सर्वेक्षण इकाई'' में पदस्थ सहायक भूजल विद्
- जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
- मिशन के अंतर्गत चयनित वाटरशेडों हेतु नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन दलों के परियोजना अधिकारी
- जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति के लीड बैंक मैनेजर
- जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- पानी रोको अभियान तथा मिशन के तहत सर्वोत्तम और उल्लेखनीय कार्य करने वाले दो तकनीकी अधिकारी / स्वयंसेवी तथा अशासकीय संस्थाओं के तकनीकी सदस्य
- सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारी जो जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों में रूचि तथा अनुभव रखते हैं।

बैठकें : जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र तकनीकी समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अनिवार्यतः आयोजित की जावेगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रूप से विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।

भूमिका : जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र तकनीकी समिति की भूमिका निम्नानुसार होंगी :

- विभिन्न योजनाओं (') के अन्तर्गत मिशन हेतु चयनित/स्वीकृत मिलीवाटरशेडों में स्वीकृत माइक्रोवाटरशेडों में शामिल गांवों जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के संपादन के लिये मिशन द्वारा जारी आदेश क्र. 15 में उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन
- विभिन्न योजनाओं (') के अन्तर्गत चयनित/स्वीकृत मिलीवाटरशेडों में स्वीकृत माइक्रोवाटरशेडों में शामिल गांवों को छोड़कर जिले के अन्य गांवों में मिशन गतिविधियों के विस्तार हेतु :–
    - स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप (स्वबंजपवद ेचमबपपिब) तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त व ली जा सकने वाली जल संरक्षण व संवर्धन तकनीकों/गतिविधियों/संरचनाओं की सूची तैयार करना
    - स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप (स्वबंजपवद ेचमबपपिब) तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त जल संरक्षण व संवर्धन तकनीकों/ गतिविधियों/संरचनाओं की इकाई लागत सहित यथोचित (ब्वेज मममबजपअम) ड्राइंग व डिजाईन निर्धारित करना। इस ड्राइंग व डिजाईन का ऐसा सुबोध व सरल प्रारूप भी तैयार करना, जिसे ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सके व वे इसे आसानी से समझ सके

- आवश्यकतानुसार तकनीकी पहलुओं पर निर्णय लेना, रिपोर्ट तैयार करना व सलाह देना
- निरीक्षण, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग

(3) <u>ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति</u>

ग्राम स्तर पर, चयनित/स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आने वाले गांवों की संबंधित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा के अनुरूप करेगी। पानी रोको समिति का वर्तमान आकार/स्वरूप विस्तारित किया जायेगा एवं इसमें उपयोगकर्ता दल, स्व–सहायता समूह, महिला बचत एवं साख समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है । जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों नामतः पानी के संरक्षण व संवर्धन , मृदा संरक्षण तथा वानस्पतिक विकास के लिए गतिविधिवार उपयोगकर्ता दलों, आयमूलक गतिविधियों के लिये स्वावलंबन दलों तथा महिलाओं में बचत एवं साख को प्रोत्साहित करने के लिये महिला बचत व साख समूहों का गठन किया गया है। मिशन की वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा पर उन समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी, जो 31.03.2003 के पूर्व स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति (व्ही.डब्ल्यू.सी) को सौंपे गये है।

अभिलेख संधारित किये जाने वाले रजिस्टर

1. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वाटरशेड योजना के लिए संधारित किये जाने वाले रजिस्टर :**

1. कैश बुक
2. व्हाउचर फोल्डर
3. लेजर
4. चैक रजिस्टर
5. पी आई ए रजिस्टर
6. वाटरशेड कमेटी रजिस्टर
7. ट्रेनिंग रजिस्टर (डब्ल्यू डी टी के लिये)
8. प्रतिवेदन (रिपोर्ट) रजिस्टर
9. रजिस्ट्रेशन लेजर
10. सदस्यता रजिस्टर
11. मीटिंग रजिस्टर

2. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वाटरशेड योजना के लिए संधारित किये जाने वाले रजिस्टर :**

1. कैश बुक
2. व्हाउचर फोल्डर
3. वेतन (मानदेय) रजिस्टर
4. चैक रजिस्टर
5. आस्थामूलक कार्य का रजिस्टर
6. निर्मित संरचनाओं (पूर्ण) का रजिस्टर
7. अग्रिम रजिस्टर
8. प्रशासनिक व्यय का रजिस्टर
9. ट्रेनिंग रजिस्टर (ग्रामीण समाज, वाटरशेड सचिव इत्यादि)
10. कम्यूनिटी ऑर्गनाईजेशन रजिस्टर
11. प्राक्कलन फोल्डर
12. सदस्यता रजिस्टर
13. रिपोर्ट / प्रतिवेदन रजिस्टर
14. मीटिंग रजिस्टर

3. **वाटरशेड कमेटी (डब्ल्यू.सी.) द्वारा संधारित रजिस्टर की सूची :**

1. कैश बुक
2. प्राप्तियां / व्यय रजिस्टर–परियोजना खाता
3. व्हाउचर फोल्डर
4. वेतन / मानदेय रजिस्टर
5. चैक रजिस्टर–परियोजना खाता
6. चैक रजिस्टर–विकास खाता
7. योगदान रजिस्टर
8. कार्य रजिस्टर
9. निर्मित संरचनाओं (पूर्ण) का रजिस्टर
10. अग्रिम रजिस्टर
11. प्रशासनिक व्यय का रजिस्टर
12. सहयोग (ग्रांट) रजिस्टर
13. प्राक्कलन फोल्डर
14. ग्रामीणों हेतु वाटरशेड कार्य रजिस्टर
15. समूह / दल रजिस्टर(उपयोगकर्ता / स्वावलम्बन / महिला बचत समूह)
16. रिपोर्ट / प्रतिवेदन रजिस्टर
17. मीटिंग रजिस्टर

ग्राम पंचायत	–	सरपंच
		समस्त पंच
		पी.आई.ए सदस्य
		वाटरशेड कर्मी
		सचिव
विस्तारित पानी रोको समिति	–	उपयोगकर्ता दलों से मनोनीत सदस्य (प्रतिनिधि के रूप में)
		स्वावलंबन दलों से मनोनीत सदस्य (प्रतिनिधि के रूप में)
		महिला बचत एवं साख समूह से मनोनीत सदस्य(प्रतिनिधि के रूप में)
		महिला सदस्य (1/3)
		प्रतिनिधियों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष विस्तारित पानी रोको समिति

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

योजना का नाम – सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (रु. लाख में)

क्रं.	जिला का नाम	जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए प्रस्ताव अनुमान (आयोजना सीमा)			
		सामान्य (80)	आ.उपयोजना (82)	विशेष घटक योजना (15)	योग
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बड़वानी	71.74	48.59	5.20	125.53
3	बैतूल	78.44	45.67	13.14	137.25
4	भिण्ड	22.49	0.21	16.65	39.35
5	भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छतरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छिन्दवाड़ा	96.99	53.72	19.01	169.72
8	दमोह	45.70	13.06	21.20	79.96
9	दतिया	0.00	0.00	0.00	0.00
10	देवास	71.12	24.16	29.17	124.45
11	धार	56.34	37.38	4.85	98.57
12	डिण्डोरी	0.00	0.00	0.00	0.00
13	गुना	74.83	22.39	33.72	130.94
14	ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00
15	हरदा	0.00	0.00	0.00	0.00
16	होशंगाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00
17	इन्दोर	0.00	0.00	0.00	0.00
18	जबलपुर	43.81	17.36	15.48	76.65
19	झाबुआ	59.71	43.23	1.54	104.48
20	कटनी	0.00	0.00	0.00	0.00
21	खण्डवा	96.94	50.97	21.71	169.62
22	खरगौन	67.48	37.41	13.19	118.08
23	मंडला	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मंदसौर	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मुरैना	0.00	0.00	0.00	0.00
26	नरसिंहपुर	0.00	0.00	0.00	0.00

27	नीमच	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पन्ना	51.07	16.16	22.12	89.35
29	रायसेन	63.49	22.15	25.45	111.09
30	राजगढ़	33.84	3.93	21.45	59.22
31	रतलाम	15.74	7.42	4.38	27.54
32	रीवा	40.54	13.88	16.51	70.93
33	सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
34	सतना	0.00	0.00	0.00	0.00
35	सीहोर	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सिवनी	85.21	49.47	14.42	149.10
37	श्योपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
38	शहडोल	128.21	82.70	13.44	224.35
39	शाजापुर	44.99	3.23	30.49	78.71
40	शिवपुरी	48.84	13.48	23.14	85.46
41	सीधी	73.62	40.19	15.02	128.83
42	टीकमगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
43	उज्जैन	0.00	0.00	0.00	0.00
44	उमरिया	27.89	17.78	3.15	48.82
45	विदिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**1399.03**	**664.54**	**384.43**	**2448.00**

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

योजना का नाम – एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (रु. लाख में)

क्रं.	जिला का नाम	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत बजट			
		सामान्य (80)	आ.उपयोजना (82)	विशेष घटक योजना (15)	योग
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	4.49	3.01	0.00	7.50
2	बड़वानी	4.85	3.25	0.00	8.10
3	बैतूल	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भिण्ड	4.40	2.95	0.00	7.35
5	भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छतरपुर	9.35	6.27	0.00	15.62
7	छिन्दवाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दमोह	4.44	2.98	0.00	7.42
9	दतिया	4.49	3.01	0.00	7.50
10	देवास	0.00	0.00	0.00	0.00
11	धार	4.35	2.91	0.00	7.26
12	डिण्डोरी	4.39	2.95	0.00	7.34
13	गुना	4.49	3.01	0.00	7.50
14	ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00
15	हरदा	0.00	0.00	0.00	0.00
16	होशंगाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00
17	इन्दोर	0.00	0.00	0.00	0.00
18	जबलपुर	4.31	2.89	0.00	7.20
19	झाबुआ	0.00	0.00	0.00	0.00
20	कटनी	4.33	2.90	0.00	7.23
21	खण्डवा	0.00	0.00	0.00	0.00
22	खरगौन	4.34	2.91	0.00	7.25
23	मंडला	4.49	3.01	0.00	7.50
24	मंदसौर	5.41	3.63	0.00	9.04
25	मुरैना	4.49	3.01	0.00	7.50
26	नरसिंहपुर	0.00	0.00	0.00	0.00

27	नीमच	10.15	6.81	0.00	16.96
28	पन्ना	4.49	3.01	0.00	7.50
29	रायसेन	9.34	6.26	0.00	15.60
30	राजगढ़	13.13	8.80	0.00	21.93
31	रतलाम	9.27	6.21	0.00	15.48
32	रीवा	0.00	0.00	0.00	0.00
33	सागर	13.47	9.03	0.00	22.50
34	सतना	13.84	9.28	0.00	23.12
35	सीहोर	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सिवनी	4.49	3.01	0.00	7.50
37	श्योपुर	4.48	3.01	0.00	7.49
38	शहडोल	0.00	0.00	0.00	0.00
39	शाजापुर	7.15	4.80	0.00	11.95
40	शिवपुरी	16.57	11.09	0.00	27.66
41	सीधी	0.00	0.00	0.00	0.00
42	टीकमगढ़	4.50	3.00	0.00	7.50
43	उज्जैन	4.50	3.00	0.00	7.50
44	उमरिया	0.00	0.00	0.00	0.00
45	विदिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**188.00**	**126.00**	**0.00**	**314.00**

Rajiv Gandhi Mission For Watershed Management'

Details of Pay Drawn on the Month of July2005

Sr. No.	Employee's Name	Bill No. & Date	Gross	Net Pay	Basic	DP	D.A.	Dep. All	C.C.A.	C.A.	H.R.A	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mr. Sachin Sinaha,IAS, Dir.	26/25.7.05	26168	22648	13125	6563	3347	600	180		2953	26768
2	Mr. C.V. Deshpandey, JDC	27/25.7.05	24956	20356	15200		8360		180		1216	24956
3	Mr. Vivak Dave, By Comm.	28/25.7.05	19129	16554	11625		6394		180		930	19129
4	Mr. Noor Khan, Ad. Off.	27/25.7.05	18121	13524	11575		6366		180			18121
5	Mr. P.K. Singhai. A.O.	28/25.7.05	17254	14179	10475		5761		180		838	17254
6	Smt. Ritu Bhardwaj, T.M.	29/25.7.05	18000	17750	18000							18000
7	Mr. Anton Julion	27/25.7.05	12731	10581	7700		4235		180		616	12731
8	Smt.Manju Saxena, Asstt.Gr-3	28/25.7.05	7054	5654	4380		2409	150	65	50		7054
9	Mr.Sudhakar Bangle,Asstt.G-3	28/25.7.05	7404	6104	4380		2409	150	65	50	350	7404
10	Mr. Adil Shrif, Asstt. G-3	28/25.7.05	5603	4416	3275		1801	150	65	50	262	5603
11	Mr. Suresh Vaswani, Asstt. G-2	28/25.7.05	9441	7991	5700		3135		100	50	456	9441
12	Mr. Arvind Vijayvargiya, ASO	28/25.7.05	10336	8509	6200		3410		180	50	496	10336
13	Smt. Niti Sharma, Acc.	28/25.7.05	9445	7795	5900		3245	150	100	50		9445
14	Smt. Sarla Mishra, Asstt. G-2	28/25.7.05	8830	6653	5600		3080		100	50		8830
15	Mr.Shafiq Ahamad, Driver	28/25.7.05	7811	6211	4700		2585		100	50	376	7811
16	Smt. Santabai, Peon'	28/25.7.05	5330	4480	3345		1840		65	50	30	5330
17	Mr. Rajendr Jadam, Inv.	28/25.7.05	8613	7163	5100		2805	150	100	50	408	8613
Grand Total			216226	180568	136280	6563	61182	1350	2020	500	8931	216826

Rajiv Gandhi Mission For Watershed Management'

Details of Pay Drawn on the Month of July2005

Sr. No.	Employee's Name	Deduction										
		G.P.F.	G.I.S	vec- ch.	Sco.Ad.	Fes- Ad.	Gr. Ad.	H.B.A.	HRR	P.T.	I.T.	Total De.
1	*2*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	Mr. Sachin Sinaha,IAS, Dir.	1500	120	250						250	2000	4120
2	Mr. C.V. Deshpandey, JDC	2300	600	250						250	1200	4600
3	Mr. Vivak Dave, By Comm.	1800	400	125						250		2575
4	Mr. Noor Khan, Ad. Off.	1800	400		222				425	250	1500	4597
5	Mr. P.K. Singhai. A.O.	1800	400		500				125	250		3075
6	Smt. Ritu Bhardwaj, T.M.									250		250
7	Mr. Anton Julion	1500	400							250		2150
8	Smt.Manju Saxena, Asstt.Gr-3	700	200						300	200		1400
9	Mr.Sudhakar Bangle,Asstt.G-3	700	200					400				1300
10	Mr. Adil Shrif, Asstt. G-3	500	200		187	100	200					1187
11	Mr. Suresh Vaswani, Asstt. G-2	1000	200							250		1450
12	Mr. Arvind Vijayvargiya, ASO	1100	200		277					250		1827
13	Smt. Niti Sharma, Acc.	900	200						300	250		1650
14	Smt. Sarla Mishra, Asstt. G-2	850	200		277				600	250		2177
15	Mr.Shafiq Ahamad, Driver	750	200		200		200			250		1600
16	Smt. Santabai, Peon'	550	100			100	100					850
17	Mr. Rajendr Jadam, Inv.	800	200		200					250		1450
Grand Total		18550	4220	625	1863	200	500	400	1750	3450	4700	36258

Bill No. 30/01.08.2005

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन पत्रक

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

माह – जुलाई, 2005

क्र.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	संविदा अवधि	कार्य की अवधि	प्रतिमाह मिलने वाला वेतन	शुद्ध राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सैय्यद अनवर हुसैन	प्रोग्रामर	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 31.07.2005	10000.00	10000.00
2	श्री कृपाशंकर देवलिया	शीघ्रलेखक	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	6400.00	5781.00
3	श्रीमती सोबी शीबू	शीघ्रलेखक	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	5525.00	3921.00
4	श्री अजय श्रीवास्तव	डाटा एन्ट्री आ.	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	5500.00	4968.00
5	श्री राजेश कुमार यादव	डाटा एन्ट्री आ.	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	5500.00	4968.00
6	श्री विजय चौरे	डाटा एन्ट्री आ.	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	5500.00	4968.00
7	श्री शकील अहमद हुसैनी	डाटा एन्ट्री आ.	20.06.2005 से 3 माह	01.07.2005 से 14.07.2005 18.07.2005 से 31.07.2005	5500.00	4968.00
8	श्री प्रदीप सौंधिया	भृत्य		01.07.2005 से 31.07.2005	2308.00	2308.00
9	श्रीमती गुलनाज	भृत्य		01.07.2005 से 31.07.2005	2308.00	2308.00
10	श्रीमती सुमन नरवड़े	भृत्य		01.07.2005 से 31.07.2005	2308.00	2308.00
11	श्री धर्मेन्द्र कुमार	भृत्य		01.07.2005 से 31.07.2005	2308.00	1563.00
12	श्री किशोर सिंह	वाहन चालक		01.07.2005 से 31.07.2005	2526.00	1405.00
13	श्री बंशी जाधव	वाहन चालक		11.07.2005 से 31.07.2005	2526.00	1711.00
14	श्री मनोज राठौर	भृत्य		01.07.2005 से 31.07.2005	2308.00	2085.00
15	श्री संतोष	वाहन चालक		01.07.2005 से 31.07.2005	2526.00	2526.00